महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

ई–समाचार पत्र

पहल

मासिक – छत्तीसवां संस्करण (माह मार्च 2018)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश
3. ''मिशन अन्त्योदय''–अभिनव प्रयास
4. पंचायतराज पदाधिकारी, सरपंचो का एक दिवसीय संभाग स्तरीय सम्मेलन
5. माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में शासक मण्डल की बैठक

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री इकबाल सिंह बैंस (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–**mgsirdpahal@gmail.com**
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed by J.K. Shrivastava and Ashish Dubey, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का छत्तीसवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2018 का तृतीय मासिक संस्करण है।

अपर मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त महोदय द्वारा वीडियो कांफ्रेन्स दिनांक 1 फरवरी, 2018 में दिये गये निर्देश प्रस्तुत किये गये है। इसके साथ–साथ **''मिशन अंत्योदय–अभिनव प्रयास''** के माध्यम से एक नवीन योजना की जानकारी हेतु एक आलेख प्रस्तुत किया गया है।

दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट में 27 फरवरी को महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर के तत्वाधान में दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट के उद्यमिता विद्यापीठ परिसर में पंचायतराज पदाधिकारी, सरपंचो का एक दिवसीय संभाग स्तरीय सम्मेलन के आयोजन पर **''पंचायतराज पदाधिकारी, सरपंचो का एक दिवसीय संभाग स्तरीय सम्मेलन का आयोजन''** समाचार आलेख प्रस्तुत किया गया है।

साथ ही महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान के शासक मंडल की 19वीं बैठक जो दिनांक 10.02.2018 को माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय की अध्यक्षता में वल्लभ भवन, भोपाल में सम्पन्न हुई जिसे समाचार आलेख **''माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में शासक मण्डल की बैठक''** द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

मुझे पूरा भरोसा है कि कि आपको 'पहल' का यह संस्करण कई विषयों पर आपको नवीन जानकारियां प्रदान करेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 01.02.2018 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस में दिए गए निर्देश

1. पंचायत राज

1.1 पोर्टल पर सचिव एवं सरपंच के मोबाईल नं. बदलने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा अनिवार्यतः अगली वीडियों कान्फ्रेस के पूर्व देने के प्रावधान पोर्टल पर कर दिया जाए।

1.2 पोर्टल पर सचिवों के निश्चित मानदेय अथवा कुछ दिनों का वेतन काटने की सुविधा का प्रावधान भी किया जाए।

1.3 मुरैना जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा न्यायालय से स्टे प्राप्त करने वाले सरपंच अथवा सचिव को वित्तीय अधिकार पुनः दिये जाने के संबंध में नस्ती अपर मुख्य सचिव को प्रस्तुत की जाए।

1.4 पोर्टल के माध्यम से की गई ई.पी.ओ बनाने की नवीन व्यवस्था में जिन ग्राम पंचायतों ने अभी तक एक भी ई.पीओ. नहीं बनाये हैं, उनकी संख्या 411 है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत यह सुनिश्चित करेगें कि यह सभी ग्राम पंचायतें आगमी वीडियों कान्फ्रेस के पूर्व लंबित संख्या को शून्य करेंगे।

1.5 14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत परफारमेंस ग्रांट प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा 05 फरवरी तक अनिवार्यतः पंचायत राज संचालनालय को भेजे जाएं अन्यथा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इसके लिये व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

1.6 जिला एवं जनपद पंचायतों के एकल खाते में मदवार राशि वर्गीकरण A.B.C प्रपत्रों में संचालनालय पंचायत राज द्वारा किया गया है, जिसकी साफ्ट कापी संबंधित जिला पंचायतों को भेजी जा रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला एवं जनपद पंचायत उक्त की पुष्टि दिनांक 07 फरवरी तक अनिवार्य रुप से करेंगे एवं यदि उसमें कोई त्रुटि या किसी योजना की राशि को A से B, B से C अथवा किसी भी वर्गीकरण में इटरचेंज करना है तो टिप्पणी सहित उक्त प्रस्ताव भी ई–मेल के माध्यम से दिनांक 07 फरवरी 2018 दोपहर 1.00 बजे तक mpprd.panchparmeshwar @mp.gov.in पर भेजेगें। विस्तृत निर्देश जारी पत्र में दिये जा रहे है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

2.1 राज मिस्त्री प्रशिक्षण जिन जिलों का प्रथम चरण समाप्त हो गया है वे आगामी दो दिवस में द्वितीय चरण का प्रशिक्षण प्रारंभ करें। मुरैना, भिण्ड, दतिया, शाजापुर, नीमच उज्जैन, हरदा, टीकमगढ एवं शहडोल जिलों द्वारा प्रथम चक्र का प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं लेकिन द्वितीय चरण का प्रशिक्षण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है। आगामी वी.सी से समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं प्रभारी राज मिस्त्री प्रशिक्षक पूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित रहेंगे। प्रमुख अभियंता इसके लिए पृथक से एजेण्डा जारी करेंगे।

2.2 माह जनवरी के लक्ष्य के विरुध रतलाम, दतिया, ग्वालियर, मदसौर, देवास तथा इंदौर जिलों ने ही लक्ष्य की पूर्ति की है। माह फरवरी का लक्ष्य जनवरी माह का अवशेष लक्ष्य को जोडते हुए माना जायेगा।

2.3 किश्त जारी करने में चार माह से अधिक का विलंब के लिए प्रत्येक जिला पंचायत रणनीति तैयार करें। ग्राम पंचायत स्तर पर हितग्राहियों को चिन्हित करते हुए man to man marking करते हुए आगामी दस दिवस में इन संख्या को शून्य करें।

2.4 वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित लक्ष्यों के विरुध केवल उज्जैन जिले द्वारा पंजीयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जो प्रशंसनीय है। सभी जिले निर्धारित समयावधि में पंजीयन से लेकर स्वीकृति तक की प्रक्रिया माह फरवरी में पूर्ण कर लें। जिलेवार प्रगति की समीक्षा आगामी वी. सी. में की जावेगी।

3. स्वच्छ भारत मिशन

3.1 श्योपुर जिले में जिला समन्वयक की तत्काल Joining सुनिश्चित की जाए।

3.2 सिंगरौली में IEC प्रबंधन के कार्य हेतु उज्जैन जिले में पदस्थ UNIEF के सलाहकार को चिन्हित किया गया है। जिला बड़वानी में प्रशिक्षण कार्य के पश्चात् वे अपनी सेवाएं जिला सिंगरौली में देगे।

3.3 अपर मुख्य सचिव द्वारा माह जनवरी में अपने लक्ष्य से अधिक प्रगति करने वाले 10 जिलों यथा बड़वानी, धार, बालाघा, खंडवा, शहडोल, गुना, सिवनी, रतलाम, मंदसौर, एवं छिंदवाड़ा की सराहना की गई तथा लक्ष्य के न्यूनतम उपलब्धि वाले 3 जिलों यथा उमरिया, छतरपुर एवं विदिशा को उनकी कम प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

3.4 अपर मुख्य सचिव निर्देशानुसार राज्य समन्वयक माह फरवरी के लिए शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारण एवं माह के अप्राप्त लक्ष्य जोड़कर करेगें तथा इसकी सूचना सभी जिलों को प्रेषित करेंगे।

3.5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायसेन 8 फरवरी से पूर्व ODF की घोषणा करें।

3.6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दतिया, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, बालाघाट एवं रीवा माह फरवरी में अपने जिलों को ODF घोषित करें।

3.7 आजीविका मिशन के CRP_S के प्रशिक्षण, समय सारिणी एवं प्रगति की जानकारी जिलों से साझा करके आगामी वी सी में समीक्षा हेतु रखी जाए।

3.8 13 ODF जिलों से ऐसे प्रेरकों की सूची भेजी जाए जो अन्य जिलों में Mass-Trigegring करेगें। आमागी वी सी में इस पर चर्चा की जाएगी।

3.9 प्रशिक्षित प्रेरकों के लिए जारी नवीन विभागीय निर्देश के सम्बन्ध में जिलों से फीडबैक लिया गया तथा यह निर्देशित किया गया कि इस संबंध में यदि किसी जिले का कोई संशोधन प्रस्ताव हो तो उसे मुख्यालय को प्रेषित करें ताकि उस पर तत्काल स्वीकृति की कार्यवाही हो सके।

4. महात्मा गांधी नरेगा (वृक्षारोपण)

4.1 दिनांक 10 फरवरी 2018 तक गुगल सीट 12 'ए' एवं 12 'बी' में पौधों की प्रजातिवार मांग की प्रत्येक जिले द्वारा प्रविष्टि की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रजाति के साथ–साथ उधानिकी एवं वानिकी का सही वर्गीकरण किया जाए। इसकी समीक्षा 08 फरवरी 2018 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेस में की जाएगी।

4.2 कोई भी जिला केवल उधानिकी एवं वानिकी का पौधरोपण नहीं करेंगे। जिले की भौगोलिक परिस्थिति एवं मांग अनुसार दोनों का मिश्रण कर पौध रोपण किया जाए।

4.3 परियोजनाओं का चिन्हाकंन पूर्व वर्ष के अनुभव के आधार पर परियोजना स्थल, प्रकार एवं प्रजातियों के आधार पर किया जाए। ऐसी परियोजना का चयन करें जिनकी सफलता का प्रतिशत अधिक हो।

4.4 पौधों की प्रजाति के साथ–साथ परियोजना का चिन्हाकंन एवं पौधरक्षकों का चयन भी साथ में किया जाए। माह मार्च के पूर्व विकास खंण्ड स्तर पर पूर्व एवं नए पौधरक्षकों का प्रशिक्षण पृथक–पृथक आयोजित किए जाने हेतु आवश्यक तैयारी, प्रशिक्षण मेन्युअल एवं जिला स्तरीय मास्टर्स ट्रेनर्स का चयन किया जाए।

4.5 नर्मदा बेसिन के 24 जिलों की सभी जनपदों में वृक्षारोपण किया जावे।

4.6 विगत वर्ष में वृक्षारोपण हेतु खरीदे गये पौधों का भुगतान शेष न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

4.7 वृक्षारोपण परियोजना में कोई भी मजदूरी भुगतान लंबित न रहे एवं सामग्री के भुगतान हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जाए ताकि आवंटन प्राप्त होने पर भुगतान हो सके।

4.8 वर्ष 2017–18 के संबंध में यह समीक्षा की जाए कि कितने परियोजनाएं सफल होकर वर्ष 2018–19 में निरन्तरता बनी रहेगी एवं ऐसे कितनी परियोजना है, जिन्हें निरंतर रखा जाना संभव नहीं हो सकेगा। कारण सहित समीक्षा करें।

4.9 वर्ष 2018–19 में वर्षा के दौरान 2017–18 के सफल परियोजनाओं के गेप फिलिंग की

आवश्यकता की समीक्षा कर कार्य योजना तैयार कर रखें। साथ ही गेप फिलिंग हेतु पौधों की स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के स्त्रोत की जानकारी परिषद को भेजे। ताकि अन्य जिलों को भी प्रदाय में मदद मिले।

4.10 यदि किसी जिले में गैर नरेगा हेतु क्रय किये पौधों के परिवहन पर कोई व्यय हुआ है और जिसका भुगतान लंबित है उसकी जानकारी संचालक, नरेगा को दिनांक 08 फरवरी 2018 के पूर्व उपलब्ध करावें।

4.11 प्रत्येक ग्राम में दो वृक्षारोपण लिए जाने की अनिवार्यता समाप्त की जानी है एवं पानी की उपलब्धता के अनुसार वृक्षारोपण की योजना बनाई जाए।

4.12 ग्रेवल रोडः ग्रेवल सड़क के आगामी आदेश तक नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किये जावे। विशेष परिस्थितियों में यदि स्वीकृति की आवश्यकता है तो प्रस्ताव भेज कर विकास आयुक्त से अनुमति ली जाना अनिवार्य होगी।

4.13 CPGRM में जिलों से अप्राप्त प्रतिवेदन–2015 के 4 शिकायतें है। शिवपुरी–1, सागर–1, टीकमगढ़–1, सीधी–1 आगामी 03 दिवस में परिषद को प्रतिवेदन भेजें।

4.14 वर्ष 2016 के 16 लंबित शिकायतें है छिंदवाड़ा–1, टीकमगढ़–1, उमरिया–2, मुरैना–2, विदिशा–2, सीहोर–2, जबलपुर–3, शहडोल–1, रीवा–1, अशोकनगर–1, जिनका प्रगतिवेदन 03 दिवस में भेजें।

4.15 सी.एम. हेल्पलाईन– 100 दिवस से ज्यादा लंबित शिकायतों को एक बार के लिए एल–1 पर पुश किया गया है। एल–1, एल–2, समीक्षा कर सही एवं अद्यतन प्रतिवेदन दर्ज करें। एल–3 के द्वारा समीक्षा अपने स्तर पर कर स्पेशल क्लोज किया जाए।

4.16 लेबर बजट– जिला सिंगरौली एवं अलीराजपुर के द्वारा विगत वित्तीय वर्ष की माह दिसम्बर एवं जनवरी माह की तुलना में प्रगति कम है। जिले–शहडोल, सिवनी, छिंदवाडा, डिण्डौरी, धार, खंडवा, मंडला, सीधी, सिंगरौली, उमरिया में वार्षिक लेबर बजट की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए मजदूरों के नियोजन बढाने की आवश्यकता है। माह फरवरी एवं मार्च में मजदूरों के नियोजन की प्रगति में सुधार लाया जाए, जिसमें कि लेबर बजट वर्ष 2017–18 की पूर्ति की जा सके।

5. आई डब्ल्यू एम पी (वाटरशेड मिशन)

5.1 योजनान्तर्गत जनवरी–2018 के लक्ष्यों के विरुध 50–30 प्रतिशत प्रगति वाले जिले निम्नानुसार है–

जिला उज्जैन, सागर, रतलाम, विदिशा, खरगौन, देवास, दतिया, बैतूल, अनूपपुर, धार, नीमच, शिवपुरी, टीकमगढ़, रीवा, अशोकनगर, सतना, इंदौर, रायसेन एवं शाजापुर।

30 प्रतिशत से कम प्रगति वाले जिले : जिला उमरिया, बुरहानपुर, सीहोर, पन्ना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी डिंडौरी, भोपाल, सीधी, सिंगरौली एवं शहडोल।

5.2 उक्त जिलों के जिला तकनीकी विशेषज्ञ/जिला परियोजना अधिकारी प्रत्येक परियोजना की दैनिक समीक्षा करें और परियोजना ग्रामों में जाकर कार्यो का निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग करें तथा कम प्रगति वाली परियोजनाओं की वस्तुस्थिति और कारणों की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को प्रत्येक सप्ताह प्रस्तुत करें साथ ही अपेक्षित प्रगति लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

5.3 माह फरवरी के लक्ष्यों के विरुध राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले की प्रत्येक परियोजना की सप्ताहिक समीक्षा कर ऐसे जिले और परियोजनायें जिनकी प्रगति धीमी अथवा नगण्य है, उनकी जानकारी वीडियों कॉन्फ्रेंस में चर्चा हेतु अपर मुख्य सचिव को प्रस्तुत की जाए। सुधार नहीं होने पर संबंधित जिला तकनीकी विशेषज्ञ/जिला परियोजना अधिकारी तथा विकासखण्ड समन्वयक/विकासखंड अभियंता के विरुध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए एवं वीडियों कान्फ्रेंस में भी इन्हें उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए आमंत्रित किया जाए।

''मिशन अन्त्योदय'' – अभिनव प्रयास

मिशन अन्त्योदय के उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ ही साथ उनके लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन अन्त्योदय प्रारंभ किया गया है। मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शासन द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं से सभी पात्र परिवारों को निर्धारित लाभ दिलाये जाने के लिए विशेष प्रयास किये जावेगें। गरीबी के निदान के लिये एक साथ विभिन्न प्रयास, क्षेत्र एवं आवश्यकता आधारित समग्र द्रष्टिकोण और अधोसरंचना एवं जनोपयोगी सेवाओं में सुधार एवं पहुॅच के लिए विभिन्न विभागों द्वारा एक साथ मिलकर कार्य किया जावेगा। प्रदेश के 51 जिलों की 98 जनपद पंचायतों के 4857 ग्राम पंचायतों को मिशन अन्त्योद्य के अन्तर्गत चयनित किया गया है।

आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा

मिशन के माध्यम से संवहनीय आयमूलक गतिविधियों एवं विभिन्न आजीविका के माध्यम से वंचित परिवारों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जावेगा। महिलाओं एवं युवाओं को संगठित किया जावेगा। इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे छोटे–छोटे उद्योगों को बाजार से जोड़ने के प्रयास किये जावेगें।

संस्थाओं को मजबूत बनाने का प्रयास

मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्र की संस्थाओं को मजबूत बनाया जावेगा। ग्रामीण समुदाय, पंचायतराज संस्थाओं, समाज, कंपनियों के लिए मिशन एक मंच की भूमिका में रहेगा। इसमें अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं और उद्यमियों का सहयोग लिया जावेगा। गांव में हुये बदलाव और परिणामों को मापने के लिए बेसलाईन सर्वे की प्रक्रिया अपनाई जावेगी। परिणामों को देखने के लिए एकीकृत निगरानी पटल और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इन्टरफेस (।च्ै) का उपयोग किया जावेगा।

मिशन अन्त्योदय से बदलाव

भारत सरकार सामाजिक क्षेत्र में लगभग 4 लाख करोड़ प्रति वर्ष विभिन्न योजनाओं पर व्यय करती है। जिसमें लगभग 1,05,448 करोड़ (2017–18) की धनराशि का व्यय बजट ग्रामीण विकास के लिए होता है। अन्तर क्षेत्रीय एवं समेकित पहल से आशाजनक परिणाम प्राप्त होंगे :–

- अभिसरण से गरीबी कम होगी और आय में बढ़ोतरी होगी।
- महिला स्व–सहायता समूहों की सहभागिता से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण को बेहतर बनाया जा सकेगा।
- क्षेत्र आधारित गतिविधियों से ''हिवरे बजारा'' जैसी उत्कृष्ट ग्राम पंचायतें बन सकेंगी।
- बैंक ऋण के माध्यम से छोटे–छोटे उद्योगों को बढ़वा मिलेगा।
- आजीविका की विभिन्न गतिविधियों में तेजी आवेगी, कौशल बढ़ेगा।
- उज्जवला, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, कौशल विकास, उर्जा, सड़क, इन्टरनेट आदि का लाभ मिलेगा।
- भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना विकसित होंगी तो आर्थिक उद्योग भी विकसित होंगे।
- 5000 ग्रामीण क्लस्टर गरीबी मुक्त करने की दिशा में सक्रियता लायेंगे।
- क्षेत्र और आवश्यकता आधारित आजीविकाओं के माध्यम से परिवर्तन आवेगा।

महत्वपूर्ण योजनाओं / कार्यक्रमों के सफल कियान्वयन करने की आवश्यकता :–

ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहीं महत्वपूर्ण योजनाओं / कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

(PMAY- R), म.प्र. दीनदयाल अन्त्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MP-DAY-SRLM), महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), स्वच्छ भारत मिशन दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कौशल्य योजना (DDUGKY) / ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RESTI), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), आजीविका, शिक्षा / कौशल, पशु संसाधन, गैर कृषि विकल्प का कियान्वयन सफलतापूर्वक करने की आवश्यकता होगी। ग्रामीण बाजार / मूल्य, सामाजिक पूंजी, बैंक लिंकेजस, छोटे उद्योग, उद्यानिकी, जैविक, स्वास्थ्य, पोषण पर भी ध्यान देना होगा।

वंचित परिवारों की आय बढ़ाने के प्रयास

कौशल विकास, उत्पाद निर्माण / बाजार / कीमत, आजीविका गतिविधियां, ग्राम पंचायत की क्षमतावर्धन, स्व–सहायता समूह का सशक्तीकरण, सेवा, उत्पाद तैयार करना, वेल्यू चेन, अधोसंरचना विकास कृषि तकनीक से जुड़ी गतिविधियों से वंचित परिवारों की आय बढ़ाने के प्रयास किये जावेंगे।

क्लस्टर अप्रोच

मिशन अन्त्योदय के अन्तर्गत चिन्हित ग्राम पंचायतों के क्लस्टर पर आवश्यकतानुसार भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचनाओं का विकास किया जावेगा जैसे :–

- सड़क, इन्टरनेट, एलपीजी गैस, आधार, सूचना प्रौद्योगिकी, डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (DBT), परिवहन का जुड़ाव
- उर्जा, आवास, खुले में शौच से मुक्ति, अपशिष्ट पदार्थो का निपटान प्रबंधन
- स्वास्थ्य एवं पोषण
- जल संरक्षण
- बैंक / क्रेडिट / वित्तीय समावेशन
- शिक्षा, कौशल विकास
- महिला स्व–सहायता समूह द्वारा आर्थिक गतिविधियों का संचालन
- वंचित परिवारों का सशक्तीकरण
- गैर कृषि आजीविका, विभिन्न अजीविका के लिए गतिविधियां
- खेल युवा क्लब संस्कृति
- वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगो को सामाजिक सुरक्षा

ग्राम पंचायत की उपलब्धियों को मापना

मिशन के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में अधोसरंचनाओं और सेवाओं की पहुॅच, सामाजिक विकास एवं सुरक्षा, आर्थिक विकास और सुरक्षा से जुडी विभिन्न गतिविधियां और कार्य किये जावेगें। जिससे होने वाले बदलावों / परिणामों को निम्न मानकों से ऑकलित किया जावेगा :–

अधोसंरचना एवं सेवाओं की पहुॅच

- बारहमासी सड़कें
- बैंकों / बैंकिंग करसपान्डेंट के साथ इन्टरनेट कनेक्टिविटी
- सुरक्षित आवासधारियों का प्रतिशत
- घरेलू उपयोग के लिए प्रति दिवस बारह घंटे बिजली की उपलब्धता वाले परिवारों का प्रतिशत
- गैस से भोजन पकाने वाले परिवारों का प्रतिशत दो फसली कृषि सिंचाई व्यवस्था वाले परिवारों का प्रतिशत
- खुले में शौच मुक्त और सामुदायिक अपशिष्ट का उचित निपटान वाले गांव

सामाजिक विकास एवं सुरक्षा

- पूरी तरह से असंक्रमित बच्चों का प्रतिशत
- 0 से 3 वर्ष तक के सामान्य से कम वजन, कमजोर, अविकसित बच्चों का प्रतिशत
- स्वास्थ्य सुरक्षा एवं मातृत्व लाभ से वचित परिवारों का प्रतिशत, बुनियादी दवाओं और प्राथमिक देखभाल तक पहुॅच
- खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छ जल वाले परिवार
- मध्यमिक शिक्षा को पूरा करने वाली लड़कियां / कौशल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
- सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत आने वाले जरूरतमंद, वृद्ध, विधावा, दिव्यांग
- 18 से 24 वर्ष के आयुवर्ग में आने वाले कौशलवान / उच्च शिक्षित

आर्थिक विकास एवं आजीविका

- आजीविका के लिए बैंक लोन लेने वाले परिवारों का प्रतिशत
- डेयरी और पशुसंसाधन से आय कमाने वाले परिवारों का प्रतिशत
- मजदूरी / स्वरोजगार में लगे हुये परिवारों का प्रतिशत
- रू. 10,000 से अधिक बचतखाते वाले परिवारों का प्रतिशत
- गैर कृषि रोजगार, कौशल, बाजार एवं बैंक लिंकेजेस वाले परिवारों का प्रतिशत
- कृषक, उत्पादक संगठन में लगे परिवारों का प्रतिशत
- भुगतान / स्वयं के रोजगार में लगी महिलाओं का प्रतिशत

चिन्हित ग्राम पंचायत / क्लस्टर की क्षमतानुसार बढ़ोत्तरी

मिशन अन्तर्गत चिन्हित ग्राम पंचायतों को उनकी क्षमतानुसार क्लस्टर के रूप में विकसित करने के प्रयाय किये जावेगें जैस :–

- खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत
- ग्राम पंचायत में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
- जल संरक्षण मिशन
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- क्लस्टर
- अपराध मुक्त / विवाद मुक्त ग्राम पंचायत
- राज्य द्वारा चयनित अन्य विषय के लिए चयनित ग्राम पंचायत
- पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायत
- कृषि क्लस्टर
- पशुपालन क्लस्टर
- शिक्षा एवं स्वास्थ क्लस्टर
- मत्स्यपालन क्लस्टर
- उद्यानिकी क्लस्टर
- मेन्युफेक्चरिंग हब
- जैविक खेती क्लस्टर
- सेवा क्लस्टर
- पर्यटन क्लस्टर
- भंडारण हब

डॉ संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

पंचायतराज पदाधिकारी, सरपंचो का एक दिवसीय संभाग स्तरीय सम्मेलन का आयोजन

दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट में 27 फरवरी को महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर के तत्वाधान में दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट के उद्यमिता विद्यापीठ परिसर में पंचायतराज पदाधिकारी, सरपंचो का एक दिवसीय संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में रीवा संभाग के पंच/सरपंचों एवं पंचायतराज के पदाधिकारियों की विशेष सहभागिता रही।

सम्मेलन का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलन, एवं पुष्पार्चन के साथ हुआ। कार्यक्रम की भूमिका दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान सचिव अतुल जैन ने रखी। इस सम्मेलन में चित्रकूट के संत महात्माओं के साथ श्रीमती ललिता यादव महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मध्यप्रदेश सरकार, रमेश सिंह चेयरमैन स्टार ग्रुप,

डॉ. संजय कुमार सराफ संचालक महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, अधारताल, जबलपुर, कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय केदार नाथ सिंह, राजेश सोनकर विधायक इंदौर, वीरेन्द्रजीत सिंह अध्यक्ष दीनदयाल शोध संस्थान, राजीव मिश्र डीएफओ सतना, डॉ पवन तिवारी संगठन मंत्री विद्याभारती महाकौशल प्रान्त प्रमुख रूप से मंचासीन रहे। इनके अलावा दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव अभय महाजन एवं संस्थान के चित्रकूट प्रकल्प के संगठन सचिव अनिल मिश्र भी सम्मेलन में पूरे समय उपस्थित रहे।

इस सम्मेलन में डॉ. अमरजीत सिंह ने **''पंचायतीराज एवं ग्राम विकास''** पर अपने विचार रखते हुए कहा कि गांव के विकास की समस्या को समझने के लिये प्रत्यक्षरुप से ग्रामीणों के बीच में रहना होगा। आपने बताया कि गाव के विकास की धूरी ग्राम पंचायते हैं लेकिन अपेक्षित कार्य पात्र (चयनित) व्यक्ति को प्रशिक्षण नही देने से संभव नही हो पाता। आर.के. खरे संकाय सदस्य, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, नौगांव द्वारा **''पंचायतीराज व्यवस्था एवं 73वें संविधान संशोधन''** के बारे में विचार रखते हुए कहा कि ग्राम सभा गांव के संसद हैं जो गांव के सर्वांगीण विकास की चिंता करती है। सन् 1993 में 73वें संविधान संशोधन से ग्रामसभाओं को यह अधिकार दिये गये हैं। त्रिलोचन सिंह, संकाय सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर के द्वारा ''**स्वच्छ भारत अभियान**'' के बारे में अत्यधिक सरलभाषा में सबको जानकारी दी।

राजीव मिश्र, डीएफओ, सतना के द्वारा ''वन समितियों पर जागरुकता'' विषय पर अपने विचार रखते हुये कहा कि चित्रकूट क्षेत्र में हर प्रकार की वनस्पतियां उपलब्ध हैं। आपने कृषि वानिकी से किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो इस सम्बंध में जानकारी दी। डॉ. के.व्ही. प्रभु ने कृषक अधिकार संरक्षण पर अपने विचार रखें।

सुरेन्द्र प्रजापति,
संकाय सदस्य

माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में शासक मण्डल की बैठक

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान के शासक मंडल की 19वीं बैठक दिनांक 10.02.2018 को माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय की अध्यक्षता में वल्लभ भवन, भोपाल में आयोजित की गई।

शासक मंडल की गत बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया एवं शासक मंडल के समक्ष गत बैठक दिनांक 04–01–2017 का पालन प्रतिवेदन श्री संजय कुमार सराफ, संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान जबलपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत पंचायत पदाधिकारियों के मूलभूत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण तथा संस्थान के अन्य विषयों पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिए गये। बैठक में श्री इकबाल सिंह बैंस , अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री शमीम उददीन, संचालक, पंचायतराज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं अन्य अधिकारीगण भी मौजूद थे।

पंकज राय,
संकाय सदस्य